कार्यालय पुलिस आयुक्त, दिल्ली, पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली

संख्या-147 जनसम्पर्क शाखा, पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली दिनांक 12 मई, 2022

सेवा में,

श्रीमान सम्पादक,
नवभारत टाइम्स
बहादुर शाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली

विषयः– "चालान करने थे डाउनलोड, 1 मिनट में ही क्रैश हुई वेबसाइट– लोगों ने ट्रैफिक पुलिस और लोक अदालत के आयोजकों पर सवाल उठाए" – शीर्षक ।

कृपया, दिनांक 12 मई, 2022 को आपके समाचार पत्र में उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत छपी खबर का अवलोकन करें। खबर का शीर्षक पूर्णतया तथ्यहीन व भ्रामक है और खबर में उल्लेखित तथ्य भी गलत हैं, जो अनावश्यक रूप से पुलिस की छवि को धूमिल करता है, जिसका दिल्ली पुलिस खंडन करती है।

14 मई, 2022 को ट्रैफिक चालान निपटारे के लिए दिल्ली के 120 न्यायालयों में 'लोक अदालत' आयोजित की जानी है जिसमें प्रत्येक अदालत में 1200 चालान निपटारे की अधिकृत क्षमता है। इस प्रकार केवल 1.44 लाख चालान ही 14 मई, 2022 की लोक अदालत में निपटारे हेतु लिये जाने हैं। लोक अदालत के लिए वेबसाइट लिंक 11.05.22 को प्रातः 10 बजे सक्रिय किया गया था। अपने चालान निपटारे के लिए भारी मात्रा में लोगों ने वेबसाइट का उपयोग किया। मात्र दो घंटे के अंदर अधिकृत 1.44 लाख चालान डाउनलोड किये गये जिसके बाद 12 बजे लिंक को निरस्त कर दिया गया। एक साथ इतना भारी वेब ट्रैफिक होने के कारण वेबसाइट लिंक बीच–बीच में एक्सेस विलबिंत प्रतिक्रिया दर्शा रहा था। परन्तु कभी यह वेबसाइट या लिंक क्रैश नहीं हुआ, जैसा कि खबर में उल्लेख किया गया है।

खबर में यह उल्लेख करना कि वेबसाइट 1 मिनट में ही क्रैश हो गई और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, पूर्णतया निराधार और सत्य से परे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस स्पष्टीकरण को उचित स्थान पर प्रकाशित करने का कष्ट करें, ताकि पाठकों को सही जानकारी मिल सके।

भवदीय

12/5/22

(अन्येष रॉय)
जनसम्पर्क अधिकारी
दिल्ली पुलिस, दिल्ली